



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2385831, 2227555, 2227602 FAX, Toll Free Help Line 15100)

क्रमांक :- एफ-7 () संस्था / रालसा / 2017 / २१७

दिनांक:- ०२.०५.२०१७

कार्यालय आदेश

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अधीनस्थ कार्यालयों में पदस्थापित न्यायिक अधिकारीगण को राजकीय कार्य से जिले से बाहर/विशेष परिस्थिति में मुख्यालय से बाहर निजी वाहन से यात्रा करने की निर्देशानुसार अनुमति प्रदान की जाती है।

न्यायिक अधिकारीगण यात्रा भत्ता पुनर्भरण के लिये राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-7(3) एफडी/रूल्स/98-1 दिनांक 13.03.2008 के परिशिष्ट-11 के एनेक्चर-11 की पालना करेंगे।

सदस्य सचिव,

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।

क्रमांक:- 4231-4310

दिनांक:- २-५-२०१७

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर।
3. निजी सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जोधपुर।
4. अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
5. पूर्णकालिक सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर / जोधपुर।
6. उपसचिव-1/उसचिव-11/ उपसचिव (एक्शन प्लान एण्ड एडीआर), राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
7. उपसचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर।
8. पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
9. लेखा शाखा कार्यालय हाजा।
10. संबंधित/आदेश/रक्षित पत्रावली।

०२.०५.२०१७

उप सचिव

(Nihal Chand, D.S.,
RSLSA, Jaipur (Reg.))